सत्यमेव जयते
Goverment Of India

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

के माननीय अध्यक्ष श्री अंतरसिंह आर्य द्वारा महाराष्ट्र के जलगांव जिले का दौरा एवं जिला स्तरीय समीक्षा बैठक का प्रतिवेदन

दिनांक: 12 से 13सितम्बर,2024

छठी मंजिल, लोकनायक भवन, खान मार्किट, नई दिल्ली -110003
6th Floor, LokNayakBhawan, Khan Market, New Delhi-110003
Tel.: 011-24623958 Fax: 011-24624628 Email: chairperson@ncst.nic.in

अनुक्रमणिका

स.क्र.	विषय	स्थान	पृष्ठक्र.
1.	**प्रस्तावना**		3
2.	वन रक्षा समिति, वन अधिकार हितग्राही एवं पेसा समिति से चर्चा	वैजापुर, ता. चोपड़ा	4
3.	युवा संवाद	कवियत्री बहिणाबाई चौधरी उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठ, जलगांव	5
4.	अनुसूचित जनजाति के सदस्यों एवं जन-प्रतिनिधियों के साथ बैठक	विश्रामगृह, जलगांव	8
5.	जिला स्तरीय समीक्षा बैठक का विवरण	जिला नियोजन समिति सभागृह, जलगांव	8
	संलग्नक: जिला स्तरीय समीक्षा बैठक में उपस्थित अधिकारियों की सूची	-	15

माननीय श्री अंतरसिंह आर्य, अध्यक्ष,राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, नई दिल्लीद्वारा दिनांक 12 एवं 13 सितम्बर, 2024 को महाराष्ट्र राज्य के जलगांव जिले का दौरा एवं जिला स्तरीय समीक्षा बैठक की रिपोर्ट

1. प्रस्तावना

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, नई दिल्ली के वायरलेस संदेश क्रं TP/CP/NCST/2024 दिनांक 03-09-2024 के क्रम में श्रीअंतरसिंह आर्य, माननीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के नेतृत्व में एक दल ने दिनांक12 से 13सितम्बर 2024 को महाराष्ट्र के जलगांव जिले का दौरा किया, जिसमें आयोग से श्री राजीव सक्सेना, माननीय अध्यक्ष के निज सचिव,श्री अंकित कुमारसेन, अनुसंधान अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल, श्री गोवर्धन मुण्डे, वरिष्ठ अन्वेषक एवं श्री अमृत प्रजापति, सलाहकार ने सहभागिताकी।

आयोग के माननीय अध्यक्ष महोदय जलगांव जिले के दौरे के लिएदिनांक 12 सितम्बर को चोपड़ा तालुका में महाराष्ट्र एवं मध्यप्रदेश की सीमा से लगे वैजापुर में पहुंचे जहांजिला प्रशासन के सहायक जिला अधिकारी सुश्री वेवोतुलु केजो एवं उपवन संरक्षक, जलगांव द्वारा उनका स्वागत किया गया। उसके पश्चात माननीय अध्यक्ष एवं आयोग के दल के सदस्य जलगांव के लिए रवाना हुए। माननीय अध्यक्ष द्वारा जलगांव शहर में स्थितकवियत्री बहिणाबाई चौधरी उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठ में जनजातीय युवाओं के साथ संवाद किया। दिनांक 13 सितम्बर को माननीय अध्यक्ष महोदय ने विश्रामगृह में जिले के अनुसूचित जनजाति के सदस्यों एवं जन-प्रतिनिधियों से विभिन्न जनजातीय मुद्दों पर चर्चा की तथा उनकी समस्याऐं सुनी, तत्पश्चात कलेक्टर कार्यालय, जलगांव में अनुसूचित जनजातियों के कल्याण एवं विकास के लिए कार्यान्वित योजनाओं की

समीक्षा बैठक का आयोजन हुआ जिसकी अध्यक्षता आयोग के माननीय अध्यक्ष महोदय ने की।

2. वन रक्षा समिति,वन अधिकार हितग्राही एवं पेसा समिति के सदस्यों से चर्चा

आयोग के माननीय अध्यक्ष महोदय ने जलगांव जिले की चौपड़ा तालुकाके वैजापुर में आयोजित संवाद कार्यक्रम में वन रक्षा समिति, पेसा समिति के सदस्योंएवं वन अधिकार हितग्राहियों तथा सामान्य लोगों से संवाद किया। कार्यक्रम के प्रारंभ में श्री अंकित कुमार सेन, अनुसंधान अधिकारीद्वारा माननीय अध्यक्ष जी का परिचय देते हुए आयोग केगठन,कार्य एवं शक्तियों के बारे में उपस्थित जनसमूह को जानकारी दी।

संवाद कार्यक्रम में उपस्थित लोगों ने आयोग के माननीय अध्यक्ष को अपनी समस्या तथा क्षेत्र के मुद्दें बताये जो इस प्रकार हैं:

- बैठक में एक अनुसूचित जनजाति की महिला ने बताया कि जिले में डीलिस्टींग का मुद्दा चलाया जा रहा है जिसके कारण जनजाति के कुछ लोगों में भय का वातावरण निर्मित हो रहा है।
- क्षेत्र में फर्जी जाति प्रमाण-पत्र बनाने की समस्या अधिक है।
- चौपड़ा तालुका में वन विभाग सड़क निर्माण करने से रोकता है तथा वन विभाग के द्वारा जनजातिय लोगों को परेशान किया जा रहा है।

- महाराष्ट्र शासन के द्वारा अनुसूचित जनजाति विभाग को आवंटित बजट अन्य विभागों में खर्च किया जा रहा है।
- अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को न्याय दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना की जाये जिससे कि त्वरित न्याय मिल सके।
- पेसा अधिनियम का लाभ लेने में स्थानीय लोगों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।

माननीय अध्यक्ष महोदय का संबोधन

कार्यक्रम में उपस्थित जनजातीय समुदाय को संबोधित करते हुए माननीय अध्यक्ष महोदय ने कहा कि पर्यावरण एवं वनों का संरक्षण करना आदिवासियों की संस्कृति का ही भाग है और हमें भी इस संस्कृति को अपनाना चाहिये। जनजातीय समुदाय आदिकाल से ही प्रकृति के उपासक एवं संरक्षक रहे है।उन्होंने देश के माननीय प्रधानमंत्री जी के 'एक वृक्ष मां के नाम' अभियान के तहत अधिक से अधिक पेड़ लगाने का सुझाव भीदिया। आगे उन्होंने जनजातीय संस्कृति के सरंक्षण की भी बात की तथा युवा पीढ़ी से आव्हान किया कि पश्चिमी सभ्यता को छोड़कर सभी स्वयं की संस्कृति को अपनाए जो कि आज की आवश्यकता है।

3. <u>युवा संवाद</u>

आयोग के माननीय अध्यक्ष महोदय ने कवियत्री बहिणाबाई चौधरी उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठ (विश्वविद्यालय), जलगांव में अनुसूचित जनजाति के

युवाओं से संवाद किया।जिसमें 18 से 25 वर्ष की आयु के लगभग 120 युवाओं ने भाग लिया।बैठक में विश्वविद्यालय के कुलसचिव ने विश्वविद्यालय में आयोग के माननीय अध्यक्ष का स्वागत किया तथा उनको विश्वविद्यालय के बारे में जानकारी प्रदान की।

युवा संवाद कार्यक्रम में विश्वविद्यालय में पढ़ रहे अनुसूचित जनजाति के छात्र-छात्राओं ने अपनी समस्याएं अध्यक्ष जी के समक्ष रखी जो इस प्रकार है:

- कॉलेज एवं विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले छात्र-छात्राओं को दी जाने वाली डीबीटी कि राशिमें वर्ष 2015 से कोई बढ़ोत्तरी नहीं हुई है जिसके कारण छात्र-छात्राओं को आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ता है।समाज कल्याण विभाग द्वारा प्रतिमाह 5392 रुपये दिये जाते हैं और जनजातीय विभाग द्वारा प्रतिमाह मात्र 3500 रुपये ही दिये जाते हैं इससे छात्र-छात्राओं का गुजारा नहीं हो पाता है।
- संघ लोक सेवा आयोग एवं अन्य केन्द्र सरकार की परीक्षाओं में जाति प्रमाण-पत्र कि वैधता का प्रमाण नहीं मांगा जाता है।
- जनजातीय सलाहकार परिषद की बैठक नियमित रुप से की जानी चाहिए।
- पूरे देश के विश्वविद्यालयों में अनुसूचित जनजाति के छात्र-छात्राओं के लिए अलग से छात्रावास होना चाहिए।
- महाराष्ट्र के 13 जिलों में पांचवीं अनुसूची लागू है, जिसका पालन पूर्ण रुप से किया जाना चाहिए।
- राज्य में जनजातीय विभाग के जीआर के अनुसार कॉलेज एवं विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों से फीस नहीं लेने का प्रावधान है लेकिन फिर भी विश्वविद्यालयों के द्वारा अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों से फीस ली जा रही है।

विद्यापीठ में अनुसूचित जनजाति विद्यार्थियों से संवाद के उपरांत माननीय अध्यक्ष महोदय ने विद्यार्थियों को संबोधित किया और बताया कि युवाओं को विद्यार्थी जीवन में नेता नहीं बनना चाहिए जबकि अपनापूरा ध्यान पढ़ाई पर केन्द्रित रखना चाहिए एवं किसी भी प्रकार के संगठनोंसे दूर रहना चाहिए। आज के समय देश में कई ऐसे संगठन कार्य कर रहे हैं जो असामाजिक गतिविधियों में संलिप्त है। ऐसे संगठन युवाओं को लक्ष्य बनाकर अपना कार्य करने का प्रयास करते है। ऐसे में युवाओं को इनके प्रभाव से बचना चाहिए तथा अपना ध्यान केवल भविष्य बनाने पर ही होना चाहिए।

4. अनुसूचित जनजाति के सदस्यों एवं जन-प्रतिनिधियों के साथ बैठक-

माननीय अध्यक्ष महोदय ने दिनांक12सितम्बर को विश्रामगृह जलगांव में जिले के अनुसूचित जनजाति के सदस्यों एवं जन-प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। बैठक में जनजातीय समुदाय के लोगों ने माननीय अध्यक्ष को बताया कि जिले में कई गैर-जनजातीय लोग फर्जी जाति प्रमाण-पत्र बनवाकर अनुसूचित जनजाति की योजनाओं एवं आरक्षण का लाभ ले रहे हैं। बैठक में यह भी बताया कि जिले में जनजाति समाज की भूमि गैर-जनजाति व्यक्तियों द्वारा ली गई है जिन पर कार्रवाई की जाना आवश्यक है।

5. जिला स्तरीय समीक्षा बैठक का विवरण

माननीय अध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता में जिला नियोजन समिति सभागृह, जिला जलगांव में जिला स्तरीय समीक्षा बैठक की गई। बैठक में आयोग के दल सहित जिला प्रशासन से श्री आयुष प्रसाद, जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षकसहित जिले के विभिन्न विभागों के पदाधिकारी सम्मिलित हुए (बैठक में उपस्थित अधिकारियों की सूची संलग्न)। बैठक में श्री अंकित कुमार सेन द्वारा आयोग के अधिकारियों का परिचय दिया गया तथा उसके पश्चात जिला प्रशासन के अधिकारी एवं विभागाध्यक्षों ने अपना-अपना परिचय माननीय अध्यक्ष को दिया।

आरम्भ में श्री अंकित कुमार सेनद्वारा आयोग के गठन, कार्य तथा शक्तियों के बारे में संक्षिप्त जानकारी प्रदान की। तत्पश्चात जिला प्रशासन के अधिकारियों द्वारा पीपीटी प्रस्तुतीकरण के माध्यम से सभी विभागों की क्रमवार जानकारी आयोग के समक्ष प्रस्तुत की गई। जिला प्रशासन ने प्रश्नावली मेंभेजी गई जानकारी के आधार पर आयोग द्वारा विभागवार योजनाओं एवं कार्यक्रमों की समीक्षा की गई, जो कि निम्नानुसार है:

सामान्य जानकारी

जलगांव जिला महाराष्ट्र राज्य के उत्तर-पश्चिम में स्थित हैतथा जिले की सीमा उत्तर मेंमध्यप्रदेश के बड़वानी, खरगोन एवं बुरहानपुर जिलों से मिलती है। जिले में कुल 32 पेसा ग्राम पंचायतें हैं तथा 87 टीएसपी ग्राम हैं। 17 शासकीय आश्रम विद्यालय, 34 एडेड आश्रम विद्यालय, 17 शासकीय छात्रावास, 9 नामांकित अंग्रेजी माध्यम विद्यालय तथा 116 अमृत आहार योजना आंगनवाड़ीहै।

तथ्यात्मक जानकारी:

- **जनसंख्या:-** वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जलगांव जिला की कुल जनसंख्या 42,29,917 है, जिसमें से अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या 6,04,367 (14%) है।पुरुषों की संख्या 3,10,150 (51.32%) तथा महिलाओं की संख्या 2,94,217 (48.68%)है। जिले में कुल साक्षरता दर 78.2% तथा अनुसूचित जनजाति के किसानों की संख्या 19,880 (3.29%)है।
- **वनाधिकार अधिनियम:-**बैठक में जानकारी दी गई कि जिले में 3163 हैक्टेयर भूमि पर 2125 वनाधिकार के दावें वितरित किये गये हैं। इस विषय पर आयोग के माननीय अध्यक्ष ने कलेक्टर को निर्देशित किया कि जिन लोगों के व्यक्तिगत दावें निरस्त हुए हैं, उनका पुन: परीक्षण किया जाये। जो दावें वितरित किये गये है, उनकी संख्या कम है।

  जिले में 29,169 हैक्टेयर भूमि पर सामुदायिक वनाधिकार के 196 दावें वितरित कर प्रमाण-पत्र दिये गये हैं। 29,169 हैक्टेयर भूमि में से 400 हैक्टेयर भूमि पर बांस के पौधे लगाये जा रहे हैं। बैठक में यह भी बताया कि जिले में महाराष्ट्र शासन द्वारा एक कन्सल्टेंट दिया गया था जिसने सामुदायिक वन अधिकार पर अध्ययन कर रिपोर्ट दी जिसमे बताया कि 48 ऐसे क्षेत्र है जहां इण्डस्ट्री लगाई जा सकती है। जिले में 20 से 30 वनधन

केन्द्रस्थापित करने की कार्ययोजना बनाई जा रही है एवं इसके साथ ही शहद उत्पादन को बढ़ावा देने का प्रयास भी प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है।

- **शिक्षा:**बैठक में जानकारी दी गई कि 4% सामान्य वर्ग की अपेक्षा अनुसूचित जनजाति के 6.48% बच्चें माध्यमिक स्तर पर शाला छोड़ रहे हैं। हाईस्कूल स्तर पर शाला छोड़ने वाले सामान्य वर्ग में 12.75 प्रतिशत तथा अनुसूचित जनजाति में यह आंकड़ा 16.31%है। जिले में शासकीय आश्रम विद्यालयों की संख्या 17 है जिनमें 5671 छात्र-छात्रायें अध्ययनरत हैं।

  जिले में शाला त्यागने की दर अधिक होने के विषय पर आयोग द्वारा पूछने पर बताया गया कि जिले के जनजातीय समुदाय के लोग पलायन पर चले जाते हैं तथा अपने साथ बच्चों को भी ले जाते हैं। जिले में पावरा समाज में 14-15 की उम्र के लड़के-लड़कियां विद्यालय से भाग जाते थे। लेकिन अब आश्रम विद्यालय में खाने और रहने की योजना के कारण भागने की समस्या कम हुई है।

  शाला त्यागने की समस्या को दूर करने के लिए सुझाव दिया गया कि जिले में जहां माध्यमिक आश्रम स्कूल है, वहां राज्य परिवहन निगम की बसें संचालित की जाये जिससे छात्र-छात्रायें विद्यालय पहुंच सके। वयस्क/प्रौड़ साक्षरता कार्यक्रम की शुरुआत की जाये जिससे शाला त्यागने वाले को शिक्षा से जोड़ा जा सके।

- **प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना (PMAAGY):-** बैठक में बताया कि प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना के अन्तर्गत 67 ग्रामों का चयन किया गया है जिनमें 148 कार्य किये जा रहे हैं तथा प्रत्येक माह इनकी समीक्षा भी की जा रही है।

- **पेसा अधिनियम:-**बैठक में जानकारी प्रदान की गई कि जिले में कुल 32 पेसा ग्राम पंचायतें हैं जिनमें 87 ग्राम शामिल है।पेसा क्षेत्र की कुल जनसंख्या 87,798 है। पेसा ग्राम में 5 प्रतिशत बजट के रुप में 3.40 करोड़ रुपये प्रत्येक वर्ष वितरित किये जाते हैं। पेसा क्षेत्र में 2125 में से 1936 लोगों को वन अधिकार के दावों का वितरण किया गया।
- **प्रधानमंत्री वन धन विकास योजना:-**बैठक में बताया कि वन धन केन्द्र में 15 स्वयं सहायता समूह जुड़े हुए है, जिनमें प्रत्येक में 20 सदस्य शामिल होते है। प्रत्येक वन धन केन्द्र को सरकार द्वारा 20 लाख रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। वन धन केन्द्र के सदस्य शहद बेचना, गोंद एकत्र करना तथा तेंदुपत्ता संग्रहण करने जैसी गतिविधियों में संलग्न रहकर आय अर्जित करते हैं।
- **जिला सड़क विकास:-** जिले की सड़कों के विकास के बारे में जानकारी प्रदान की गई, जिसके अन्तर्गत वर्ष 2023-24 में जिले में 447 लाख रुपये से 18 सड़कों का निर्माण कार्य संचालित किया जा रहा है।
- **जल जीवन मिशन:-** बैठक में बताया कि जिले में पेयजल की समस्या रहती है, जिसके लिए जल जीवन मिशन के अन्तर्गत 91 योजनाओं का कार्य किया जा रहा है।जिले में कुओं, बोरवेल एवं अन्य उपलब्ध स्त्रोंतो से पानी की व्यवस्था की जाती है।
- **स्वास्थ्य:-** जिले के पेसा क्षेत्र में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, 87 उप-स्वास्थ्य केन्द्र, एक ग्रामीण अस्पताल तथा 3 बाल उपचार केन्द्र संचालित है। बैठक में यह भी जानकारी दी गई कि जिले के अस्पतालों में चिकित्सकों, विशेषज्ञ एवं पेरामेडिकल स्टॉफ कमी है। जिले में महाभर्ती अभियान के तहत लगभग 80 प्रतिशत पद भरे जा चुके हैं।

वर्ष 2016 में जिले में अनुसूचित जनजाति छात्रावासों में 19 बच्चों की मृत्यु हो गई थी। उसके उपरांत वर्ष 2018 में अटल आरोग्य योजना के अन्तर्गत जिले को 48 एंबुलेंस प्राप्त हुई थी।पर्याप्त स्वास्थ्य सुविधा होने के कारण जिले के छात्रावासों में मौत का आंकड़ा शुन्य हो गया, लेकिन वर्ष 2023 में योजना समाप्त हो गई है।

- **आवास योजना:-** बैठक मेंजानकारी दी गई कि जिले में अनुसूचित जनजाति के लिए पारदी घरकुल योजना, शबरी घरकुल योजना (6300 घर बने) तथा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर बनाने का कार्य किया जा रहा है। ठक्कर बाबा योजना के अन्तर्गत ग्रामों में 7 प्रकार के कार्य किये जा रहे हैं तथा वर्ष 2022-23 में 46 परियोजना स्वीकृत हुए है जिनमें से 40 पूर्ण तथा 6 का कार्य प्रगति पर है। वर्ष 2023-24 में 16 परियोजना स्वीकृत है, जिनमें से सभी का कार्य प्रगति पर है।बैठक में यह भी बताया कि जिले में 2000 लोग ऐसे हैं जिनके पास भूमि नहीं होने से मकान नहीं मिला है।
- **एट्रोसिटी एक्ट (अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम):-**बैठक में एट्रोसिटी एक्ट से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराई गई जिसमें बताया कि वर्ष 2024 में कुल 24 प्रकरण पंजीबद्ध हुए हैं, जिनमें से 15 प्रकरण लंबित है।

समीक्षा बैठक के दौरान माननीय अध्यक्ष का उद्भोदन

जलगांव जिले में जिला स्तरीय समीक्षा के दौरान बैठक में विभिन्न विभागों की जानकारी आयोग के माननीय अध्यक्ष महोदय को प्रदान की गई उसके पश्चात आयोग के माननीय अध्यक्ष ने बैठक में अधिकारियों को संबोधित किया तथा निम्न बिन्दुओं पर जिला प्रशासन को निर्देश दिया।

- जिले में अनुसूचित जनजाति के छात्र-छात्राओं की सिकल सेल की नियमित जांच एवं उपचार पर विशेष ध्यान दिया जाये।
- कवियत्री बहिणाबाई चौधरी उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठ के छात्रावास में पेयजल की पर्याप्त व्यवस्था की जाये।
- जिले के अधिकारीगण माह में 1 या 2 बार छात्रावासों का निरीक्षण करना सुनिश्चित करें।
- बैठक में कहा गया कि अनुसूचित जनजाति के युवाओं एवं बच्चों में खेल के प्रति विशिष्ठ प्रतिभा होती है इसके लिए जिले में एक स्पोर्ट अकादमी होना चाहिए।
- जिले में स्वरोजगार हेतु लोन प्राप्त करने के कुल कितने प्रकरण प्राप्त हुए उनमें से कितनों को अस्वीकार किया तथा अस्वीकार करने के क्या कारण थे। इसकी पूरक जानकारी आयोग को भेजी जाये।

- जिले में जनजाति व्यक्ति की जमीन गैर-जनजाति व्यक्ति को हस्थान्तरण के कितने प्रकरण है, इसकी जानकारी आयोग को प्रदान की जाये।
- जिले में स्वास्थ्य विभाग की भर्ती को जल्दी भरने का प्रयास किया जाना चाहिए।
- जनजातीय परामर्श समिति की बैठक नियमित रुप से की जानी चाहिए।
- जैसा बैठक में बताया कि 2000 लोगों के पास भूमि न होने के कारण उनको आवास प्राप्त नहीं हुए है ऐसी स्थिति में उन्हें भूमि दिलाने का प्रयास किया जाना चाहिए।
- यावल तालुका में एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय के लिए प्रपोजल बनाकर शासन को भेजा जाये जिससे कि विद्यालय स्वीकृत किया जा सके।
- जिन किसानों की फसलें खराब हुई हैं उन्हें उचित दर से मुआवजा दिया जाना चाहिए।

संलग्नक: जिला स्तरीय समीक्षा बैठक में उपस्थित अधिकारियों की सूची

दि:13/09/2024

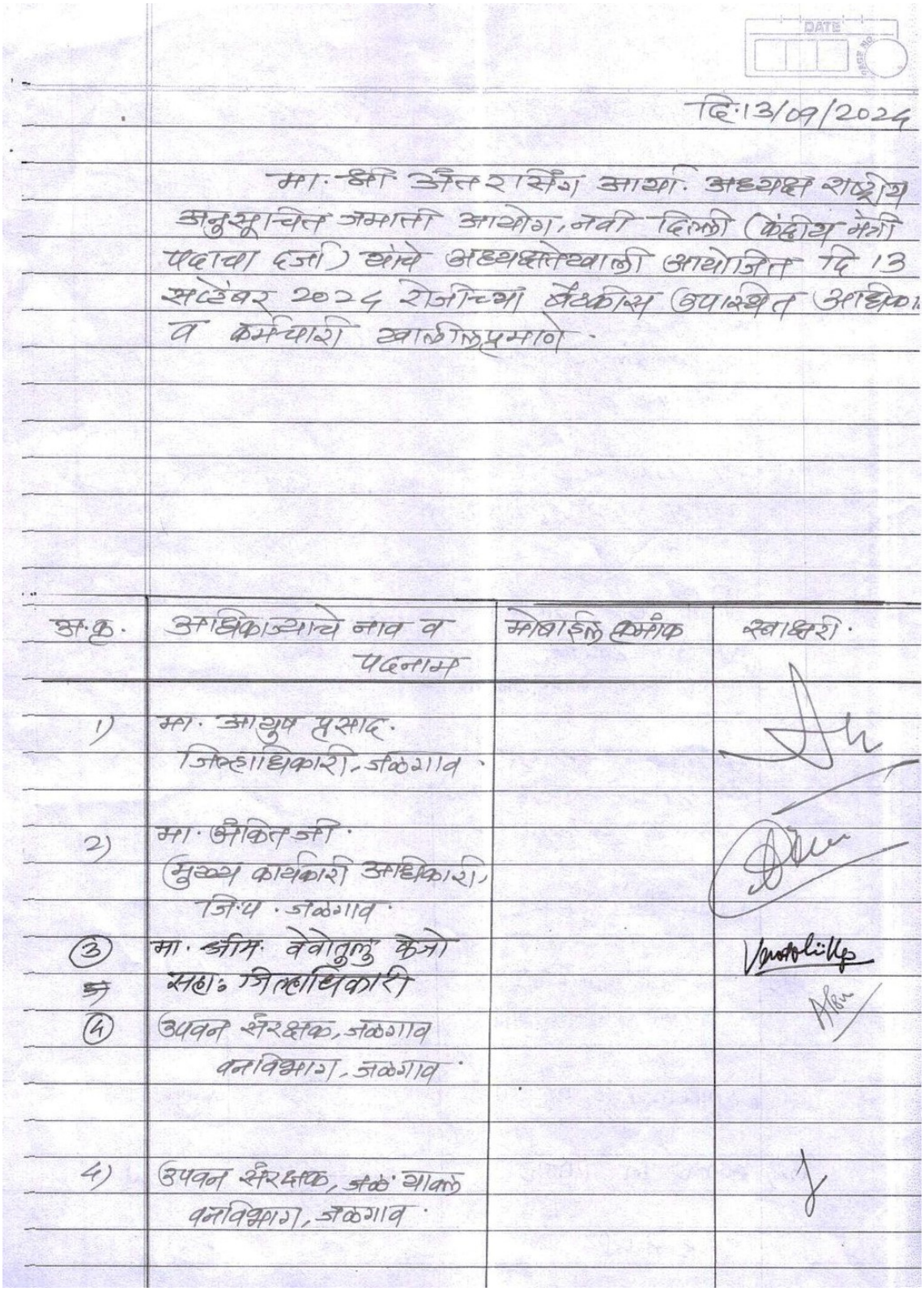

मा. श्री अंतरसिंग आर्या. अध्यक्ष राष्ट्रीय अनुसूचित जमाती आयोग, नवी दिल्ली (केंद्रीय मंत्री पदाचा दर्जा) यांचे अध्यक्षतेखाली आयोजित दि 13 सप्टेंबर 2024 रोजीच्या बैठकीस उपस्थित अधिका. व कर्मचारी खालीलप्रमाणे.

अ.क्र.	अधिकाऱ्याचे नाव व पदनाम	मोबाईल क्रमांक	स्वाक्षरी.
1)	मा. आयुष प्रसाद. जिल्हाधिकारी, जळगाव.		[signature]
2)	मा. अंकित जी. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जि.प. जळगाव.		[signature]
③	मा. श्रीम. वेवोतुलु केजो सहा. जिल्हाधिकारी		Vevotolu Kezo [signature]
~~5~~ ④	उपवन संरक्षक, जळगाव वनविभाग, जळगाव.		[signature]
4)	उपवन संरक्षक, जळगाव यावल वनविभाग, जळगाव.		[signature]

मा॰ राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
अध्यक्ष, अधिकारी उपस्थिती दर्शक तक्ता

अ.क्र.	मा. अधिकारी नाम	पदनाम	स्वाक्षरी
1	मा. अध्यक्ष - अंतर सिंह आर्य	अध्यक्ष राष्ट्रीय आयोग	[illegible]
2	राजीव सक्सेना	खाजगी सचिव	[illegible]
3	मा. ~~संशोधन~~ अंकित कुमार स्रो	संशोधन अधिकारी	[illegible]
4	अमृत प्रजापति	सभ्यागार	[illegible]
5	गोवर्धन मुंडे	वरिष्ठ आरक्षक	[illegible]

अ.क्र.	अधिकाऱ्याचे नाव व पदनाम	मोबाईल क्रमांक	स्वाक्षरी
5)	मा. जिल्हा पोलीस अधिक्षक, जळगाव	7775007799	[illegible]
6)	मा. श्री. अरुण पवार, प्रकल्प अधिकारी, ए.आ.वि.प्रकल्प, यावल		[illegible]
7)	मा. विजय शिंदे, जिल्हा नियोजन अधिकारी जळगाव	9834096078	V Shinde
8)	श्रीमती वंदना थोरात सहा. लेखा अधिकारी, जिल्हा पुरवठा कार्या, जळगांव	7720094716	Thorat
9)	मनोहर चौधरी जिल्हा नियोजन अधि. (मा.वि.) जळगाव		[illegible]
	~~विजय शिंदे, DPO~~		
10)	आर. एस. लोखंडे प्रकल्प संचालक, DRDA	9850213306	[illegible]
11)	ANIKET PATIL DYCEO VP	—	[illegible]
12)	AMAR M PATIL	—	A.M.Patil
	S. B. Patil		[illegible]

अ.क्र.	अधिकाऱ्याचे नाव व पदनाम	मोबाईल क्रमांक	स्वाक्षरी
13	कु. मु. तडवी, जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी, जळगाव	9850377824	[signature]
14.	सुरज जगताप कृ.वि.अ. जि.प. जळगाव	7020942941	जगताप
15.	श्री. अनुराग रा. पाटील सहा. आयुक्त मत्स्यव्यवसाय (तां) जळगांव	9767981690	[signature]
16	डॉ. मच्छिंद्रनाथ वा. कदम शिक्षणाधिकारी माध्य जळगाव	9270071761	[signature]
17	विकास पाटील शिक्षणाधिकारी प्राथ. जळगाव	7588008740	[signature]
18.	डॉ. जितेंद्र सुरवाडे प्र.अ. ग्रा.बँ.न.पं.	9890075841	[signature]
19.	श्री. संजय चौधरी प्र.अ. ग्रा.बँ.म. रु. जे.	8600862425	[signature]
20	डॉ. व्ही. ए. तडवी जिपसंअ.	9823683704	[signature]
21.	डॉ. शामकांत प्रभाकर पाटील पशुसंवर्धन उपायुक्त, जळगांव.	8149572495	[signature]
22.	गौतम वलसाणे, जिल्हा उपाधीक्षक सह. संस्था, जळगाव	9822458130	[signature]
23	स्वाती सुराणा का.अ. सा.बां.वि. नं.2, जळगाव	9922107441	[signature]

अ.क्र.	अधिकाऱ्याचे नाव व पदनाम	मोबाईल क्रमांक	स्वाक्षरी
24	श्री. [illegible] वराडे सरकारी कामगार (अधिकारी), नाशिक (अप. कामगार जळगाव)	9967701296	
25	मोहन सोनार (N.T. EGS Jal.)	9422781099	
26.	डॉ. वनिता सोनगत जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी जळगाव	7744846591	
27	अविनाश गांगोडे, उपायुक्त नगरपालिका [illegible]	9518517030	13/09/24
28	सोनगिरे चंद्रकांत, शहर अभियान [illegible] जळगाव	9403686202	
29.	Dr. Sushant P. Nikumbh Govt. Medical College Jalgaon	7507372990	
30	Madhav D Sonawane [illegible] Shabari Yawal.	9403608694	
31)	Gaurav M. Chaudhari BM Shabari Dep. Yawal	8055982527	
32)	Saurabh Verma LDM Office, Jalgaon	7409186599	
33)	[illegible] [illegible]	[illegible]	
34	[illegible] [illegible] [illegible]	99873[illegible]	